तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-12-19	सायल जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर की ओर से अभियोजन अधिकारी बाड़मेर उपस्थित। सायल की ओर से यह इस्तगासा गैर सायल पवनसिंह के विरूद्ध धारा 2/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के प्रस्तुत किया गया हैं। प्रस्तुत परिवाद दर्ज रजिस्टर होकर गैर सायल जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल की तलबी हेतु जारी नोटिस थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा की ओर से इस पृष्ठांकन के साथ अदम तामील प्राप्त हुआ हैं कि **"पवन पुत्र मांगूसिंह के घर जाकर पूछताछ की तो उनके चाचा डूंगरसिंह द्वारा बताया गया कि पवन गुजरात की भुज जेल में बन्द है। अतः तामील कराने में असमर्थ रहा।"** इस प्रकार गैर सायल थाना क्षेत्र बालोतरा में निवासरत भी नहीं है तथा वह पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में है, ऐसे में उसकी आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु क्षेत्र से बाहर करने का यह प्रार्थना थानाधिकारी द्वारा गैर सायल के पिछले छः माह की गतिविधियों के बारे में जांच किये बिना ही प्रस्तुत किया गया हैं जो चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः गैर सायल की तलबी हेतु जारी नोटिस पर थानाधिकारी की ओर से प्रस्तुत अदम तामीली रिपोर्ट एवं गैर सायल की वर्तमान निवास की स्थितियों को देखते हुए यह परिवाद इसी प्रक्रम में ड्रॉप किया जाता हैं। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हों व दाखिल दफ्तर हों। अपर जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.)बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Date: 2020.02.01 14:21:27 IST
Reason: SelfAttested